

कार्यालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

—:: संशोधित आदेश ::—

क्रमांक 2123 / स्टेनों शाखा / अ.वि.अ. / 2020

डोंगरगढ़, दिनांक 28 / 09 / 2020

संपूर्ण डोंगरगढ़ नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन लगातार कोरोना पाजिटीव मरीज चिन्हांकित किये जा रहे हैं, अतः कोविड-19 के प्रसार को देखते हुए इसके प्रसार को रोकने के लिये कड़े सामाजिक अलगाव के उपयोग को अपनाना उचित एवं आवश्यक हो गया है। अतः छ.ग. शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पत्र क्रं./2020/796/नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 25/07/2020 के परिपालन में सक्रिय प्रकरणों के क्लस्टर पाये जाने एवं संक्रमण का संभावित फैलाव तथा जनसंख्या घनत्व को देखते हुए, जोखिम का आकलन करते हुए आज शाम 07:00 बजे से आगामी आदेश तक डोंगरगढ़ नगरीय क्षेत्र के बुधवारी पारा, केदार बाड़ी वार्ड नं. 03, वार्ड क्रमांक 17 पटेल वार्ड, थाना चौक वार्ड क्रमांक 19, भगत सिंह चौक को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया जाता है, तथा इसके अतिरिक्त पूर्व में घोषित किये गये अन्य क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन से मुक्त किया जाता है। जिसे जारी रखने के लिये निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं:-

1. बुधवारी पारा, केदार बाड़ी वार्ड नं. 03, वार्ड क्रमांक 17 पटेल वार्ड, थाना चौक वार्ड क्रमांक 19, भगत सिंह चौक में किराना, सब्जी, फल, फोटोकापी, स्टेशनरी एवं ग्राहक सेवा केन्द्र प्रातः 7:00 बजे से 02.00 बजे तक खुल सकेंगे। इसके अलावा सभी व्यावसायिक दुकानें बंद रहेंगी।
2. छुट की अवधि में किराना, सब्जी, दुध, फल, फोटोकापी, स्टेशनरी एवं ग्राहक सेवा केन्द्र में व्यवसायी एवं ग्राहकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग सिध्दांत का पालन आवश्यक होगा। सभी व्यवसायी मास्क आवश्यक रूप से पहनेंगे तथा मास्क पहनने पर ही अपने ग्राहकों को अपने संस्थान में प्रवेश दे सकेंगे, इसका उल्लंघन करते पाये जाने पर संबंधित संस्थान को सील करने की कार्यवाही की जावेगी। संस्थागत व्यवसायी अपने संस्थान के बाहर सेनेटाईजर आवश्यक रूप से रखेंगे एवं दुकान में आने वाले ग्राहकों की जानकारी हेतु रजिस्टर मेन्टेन करेंगे।
3. दोपहर 2:00 बजे के बाद दुकानें खुली पाये जाने पर सीलिंग/माल जप्ती एवं पृथक से अर्थदण्ड की कार्यवाही की जावेगी तथा अपराधिक प्रकरण भी दर्ज किया जावेगा।
4. मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसियां अपने निर्धारित समय पर खुल सकेंगे।
5. किसी भी प्रकार की सभा, आयोजन, जुलूस, जिम, पार्क, क्लब, धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यक्रम पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।
6. समस्त शासकीय/अर्धशासकीय कार्यालय अपने निर्धारित समय पर संचालित होंगी। एवं कन्टेनमेंट जोन में बैंक दोपहर 2:00 बजे तक संचालित होंगे।
7. सभी नागरिक अपने घर में ही रहेंगे। बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ती के क्रम में बाहर जाने पर सामाजिक दूरी की दिशा निर्देशों का अनुपालन करेंगे। किसी भी स्थिति में एक से अधिक व्यक्तियों को घर से बाहर जाने को प्रतिबंधित किया जाता है। घर से बाहर जाने की स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्यतः अपना वैध प्रमाण पत्र के साथ रखना

अनुविभागीय दण्डाधिकारी  
डोंगरगढ़ (छ.ग.)

होगा। नागरिक द्वारा मास्क नहीं पहनने पर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर अर्थदण्ड लगाने की व कोविड एक्ट की उल्लंघन हेतु दण्डात्मक कार्यवाही जावेगी।

8. बाहर से आने वाले नागरिकों की सूचना शहरी क्षेत्र के निवासी नगरीय निकाय एवं ग्रामीण क्षेत्र के निवासी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को लिखित रूप से दें इसमें किसी भी प्रकार की चूक होने पर उनके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जावेगी। जिसके लिये वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत व नगरीय निकाय इसकी सूचना विकासखण्ड चिकित्साधिकारी/विकाराखण्ड कार्यक्रम प्रबंधक डोंगरगढ़ को देंगे।
9. जिनका भी कोरोना टेस्ट हुआ है वह रिपोर्ट आने तक घर से बाहर नहीं निकलेंगे। नियम का उल्लंघन करने पर कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।
10. जिस भी क्षेत्र को कंटेनमेंट घोषित किया जावेगा वहां शहरी क्षेत्र में नगरीय निकाय के कर्मचारी एवं ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत के कर्मचारियों द्वारा आवश्यक सामग्री की आपूर्ति की जावेगी।
11. ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना प्रोटोकाल एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कृषि कार्य यथावत संचालित रहेगा।
12. कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम एवं नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किये जाने की दशा में महामारी रोग अधिनियम 1897 (1893 का 3) के अधीन निर्मित विनियम के तहत निम्नानुसार जुर्माना अधिरोपित किया जायेगा, अर्थात:-

3. सार्वजनिक स्थलों में मास्क/फेस कवर नहीं पहनने की स्थिति में

रुपये - 100/-

4. होम क्वारेन्टाईन के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में

रुपये - 1000/-

5. सार्वजनिक स्थलों पर थुकते हुए पाये जाने की स्थिति में

रुपये - 100/-

6. दुकानों/व्यसायिक संस्थानों के मालिकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग/फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में

रुपये - 200/-

महामारी रोग अधिनियम 1897 (1893 का 3) के प्रावधानों के अधीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत अधिकारी नायब तहसीलदार, सहायक उप-निरीक्षक(ए.एस.आई) से निम्न अधिकारी द्वारा ही उपरोक्त जुर्माने की राशि की वसूली की जा सकेगी तथा जुर्माना अदा न करने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध महामारी रोग अधिनियम 1897 (1893 का 3) के अधीन निर्मित विनियम 2020 के विनियम 14 एवं भारतीय दण्ड संहिता 1860 (1860 का 45) की धारा 188 के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

13. निम्नलिखित अधिकारियों को उक्त आदेश के परिपालन हेतु प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाता है:-

क्रमांक.	अधिकारी का नाम एवं मो0 नं0	पदनाम	सौंपे गये कार्य
01	श्री अविनाश ठाकुर 9407620657	तहसीलदार डोंगरगढ	नोडल अधिकारी, संपूर्ण डोंगरगढ क्षेत्र में शांति व्यवस्था।
02	श्रीमति बी.पी. एक्का 7748819346	विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी, डोंगरगढ	समस्त स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना, कोरोना टेस्ट, संपर्क ट्रेसिंग
03	श्री हेमशंकर देशलहरा 9425262312	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, डोंगरगढ	(1) संपूर्ण नगरिय निकाय में सोसल डिस्टेसिंग एवं मास्क पहनाने का पालन, मुनादी कराना एवं कोरोना रोकथाम हेतु आवश्यक कार्यवाही (2) बाहर से आये व्यक्तियों की जानकारी एकत्रित करना एवं कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करवाना।
04	श्री एल के कचलाम 8269137454	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत डोंगरगढ	संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करवाना व बाहर से आये व्यक्तियों की जानकारी एकत्रित करना।
05	श्री फत्तेराम कोसरिया 9752994769	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, डोंगरगढ	घरो का एक्टिव सर्विलिएन्स
06	(1) श्री जे के तिग्गा 9753190449  (2) श्री टी ए खान 9425585686	(1) अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, डोंगरगढ (2) अनुविभागीय अधिकारी (वन), डोंगरगढ	नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बेरिकेटिंग की व्यवस्था
07	श्री एलेक्जेण्डर किर्तो 9977192304	थाना प्रभारी डोंगरगढ	संपूर्ण नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र डोंगरगढ विशेष कर कंटेनमेन्ट जोन में कोरोना प्रोटोकॉल के परिपालन हेतु गस्त करना, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करवाना, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, वि.चि.अधि., वि.खं.कार्य. प्रबंधक को उक्त कार्य में सहयोग करना।

अनुविभागीय दण्डाधिकारी  
डोंगरगढ (छ.ग.)

टीप:- कन्टेनमेंट जोन में निहित मार्गदर्शिका के अनुसार संबंधित क्षेत्र की 14 दिवस तक सतत निगरानी की जावे। तत्पश्चात संक्रमण की रोकथाम का आंकलन कर एवं सक्रिय प्रकरण 14 दिन तक शुन्य रहने पर, उक्त क्षेत्र से कन्टेनमेंट हटाया जावेगा।

अनुविभागीय स्वास्थ्य अधिकारी,  
अनुविभाग प्रमुख, डोंगरी (द.ग.)  
डोंगरी (द.ग.)

प्रतिलिपि :-

पृ. क्रमांक 2124 / स्टेनों शाखा / अ.वि.अ. / 2020

डोंगरीगढ़, दिनांक 28 / 09 / 2020

1. कलेक्टर महोदय, राजनांदगांव को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक महोदय राजनांदगांव को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजनांदगांव को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
4. अनुविभागीय अधिकारी पुलिस को सूचनार्थ प्रेषित।
5. सर्व विभाग प्रमुख, अनुविभाग डोंगरीगढ़ को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
6. सर्व अधिकारी / कर्मचारी को सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित।

अनुविभागीय स्वास्थ्य अधिकारी,  
अनुविभाग प्रमुख, डोंगरी (द.ग.)  
डोंगरी (द.ग.)